न्यायमूर्ति एस. एस. संधावालिया के समक्ष

दिल्ली ऑटोमोबाइलस प्राइवेट लिमिटेड, -याचिकाकर्ता।

बनाम

मारुति लिमिटेड- उत्तरदाता।

1977 की कंपनी याचिका संख्या 126।

6 मार्च, 1978।

कंपनी अधिनियम (1956 का 1) - धारा 433 (एफ) और 439 - कंपनी का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया और व्यवसाय ठप हो गया - कंपनी का आधार वस्तुतः गायब हो गया - मौजूदा संपत्ति अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है - कंपनी का समापन - चाहे उचित और न्यायसंगत हो।

यह माना गया कि जहां कंपनी का मुख्य उद्देश्य मोटर कारों, ऑटोमोबाइल और अन्य यांत्रिक वाहनों का निर्माण था और कंपनी को इस उद्देश्य के लिए जारी किया गया था, लेकिन छोटी यात्री कारों का निर्माण करने की स्थिति में नहीं है और न ही किसी भी स्तर पर कारों का वाणिज्यिक निर्माण या बिक्री हुई है, यह स्पष्ट है कि जिस उद्देश्य के लिए कंपनी को शामिल किया गया था, वह विफल हो गया है और इसलिए कंपनी का आधार है। कंपनी लगभग गायब हो गई। इसके अलावा, कंपनी असमर्थ है अपनी भारी देनदारियों को पूरा करने के लिए क्योंकि कंपनी का व्यवसाय लगभग ठप हो गया है और उसके कर्मचारी चले गए हैं, एकमात्र निष्कर्ष यह है कि कंपनी के लिए अपना व्यवसाय जारी रखना असंभव होगा और किसी भी मामले में अन्यथा नुकसान नहीं होगा। कंपनी की मौजूदा और संभावित तरल संपत्ति वर्तमान और तत्काल देनदारियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिसे इसके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यह उचित और न्यायसंगत है कि कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 433 (एफ) के तहत बंद कर दिया जाना चाहिए।

(पैरा 14 से 16)

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 और 439 के तहत मारुति लिमिटेड को अनिवार्य रूप से बंद करने के लिए याचिका में प्रार्थना की गई है कि : -

(i) मारुति लिमिटेड को इस माननीय न्यायालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत बंद कर दिया है।

(ii) परिसर में किया जाने वाला कोई अन्य आदेश या आदेश जैसा भी उचित होगा।

याचिकाकर्ता की ओर से वीपी गांधी, वकील।

हरकरण सिंह, अनंतिम परिसमापक।

एम.एस. लिब्रहन, अधिवक्ता, - शेयरधारक के लिए।

रायजादा हरबंस सिंह।

जी. सी. मित्तल, एडवोकेट, - डीलरों के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति एसएस संधावालिया (1) मेसर्स दिल्ली ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने इस याचिका को प्राथमिकता देते हुए अनुरोध किया है कि मेसर्स मारुति लिमिटेड को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 और 439 के तहत बंद कर दिया जाए। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शेयरों द्वारा सार्वजनिक कंपनी लिमिटेड के रूप में शामिल मेसर्स मारुति लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) का शेयरधारक है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय गुड़गांव जिले के पालम, गुड़गांव रोड पर स्थित है और इसकी नाममात्र पूंजी केवल दस करोड़ रुपये थी। जिस उद्देश्य के लिए कंपनी की स्थापना की गई थी, वह मुख्य रूप से कारों का निर्माण था और साथ ही अन्य वस्तुओं को भी इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में विस्तार से निर्धारित किया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि अब यह सर्वविदित है कि कंपनी पर छह करोड़ रुपये की भारी देनदारियां हैं, जिन्हें पूरा करने में यह पूरी तरह से असमर्थ है और इसके लेनदारों के बीच अपने ऋणों को सुरक्षित करने

के लिए होड़ मची हुई है। यह

मामला है कि कंपनी जनता को बिक्री के लिए किसी भी कार का निर्माण करने में सक्षम नहीं है जो इसका प्राथमिक उद्देश्य था और आगे वाणिज्यिक दिवालियापन और विभिन्न अन्य प्रतिकूल कारकों (जिन्हें निर्दिष्ट नहीं किया गया है) के कारण इसका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया था और एक ठहराव पर है। यह कहा गया है कि बड़ी संख्या में कंपनी के कर्मकारों और पूर्व कर्मचारियों ने अपने पद छोड़ दिए थे और व्यवसाय के पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं थी।

(2) अंत में यह स्पष्ट किया गया है कि यद्यपि कंपनी के पास कोई तरल संपत्ति नहीं थी, फिर भी इसके पास पर्याप्त मूल्यवान संपत्तियां हैं, जिन्हें यदि उचित तरीके से निपटाया जाता है, तो इसके सभी लेनदारों को भुगतान के लिए पर्याप्त होने की उम्मीद थी और इसके योगदानकर्ताओं के बीच वितरण के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध थी। उपर्युक्त आधारों पर, यह प्रार्थना की गई है कि यह न्यायसंगत और न्यायसंगत है कि कंपनी को बंद कर दिया जाना चाहिए।

(3) कंपनी की ओर से दायर दिनांक 26 जून, 1977 के उत्तर में याचिका के पैरा 1 में दिए गए कथन का कोई उत्तर नहीं दिया गया है जबकि पैराग्राफ 2 से 5 को स्वीकार कर लिया गया है। पैराग्राफ 6 और 7 के संबंध में यह कहा गया है कि इस तथ्य के मद्देनजर याचिकाकर्ता की शेयर होल्डिंग्स को सत्यापित करना संभव नहीं है कि कंपनी के रिकॉर्ड को इस न्यायालय के आदेशों के तहत सील कर दिया गया था। यह भी उल्लेख किया गया है कि मई, 1975 से शुरू होकर पिछले दो वर्षों के कंपनी के संबंधित खाते और अन्य रिकॉर्ड को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 26 से 28 मई, 1977 को मामले संख्या एचसी 5/77 में कतिपय जांच के संबंध में ले लिया गया और जब्त कर लिया गया, जबकि शेष रिकॉर्ड को उच्च न्यायालय के दिनांक 25 जून, 1977 के आदेशों के तहत सील कर दिया गया है। सचिव के

एक हलफनामे और मामले के उनके स्मरण के आधार पर यह कहा गया है कि कंपनी की देनदारियां लगभग 534 लाख रुपये की संपत्ति के मुकाबले लगभग 565 लाख रुपये होंगी। हालांकि, इसमें कंपनी के स्वामित्व वाली 297 एकड़ भूमि का मूल्य शामिल नहीं है जिसे हरियाणा सरकार की अनुमति के बिना नहीं बेचा जा सकता है। यह स्वीकार किया जाता है कि धन की कमी के कारण विभिन्न लेनदारों को भुगतान करना संभव नहीं है। पैराग्राफ 8 के संबंध में यह विशेष रूप से स्वीकार किया गया है कि कंपनी जनता को बिक्री के लिए कारों का निर्माण करने में सक्षम नहीं थी। तब यह स्वीकार किया गया है कि कंपनी का व्यवसाय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और अधिकांश कुशल श्रमिक पहले ही अपना रोजगार छोड़ चुके हैं और कंपनी के लिए विनिर्माण गतिविधि को आसानी से फिर से शुरू करना संभव नहीं होगा। अंत में यह रुख है कि कंपनी की परिसंपत्तियों के सटीक मूल्य का पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन प्रतिवादी के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी की संपत्ति अंततः लेनदारों की मांग को पूरा कर सकती है यदि उन्हें उचित तरीके से निपटाया जाता है और यदि विशेष रूप से संकट की बिक्री से बचा जाता है।

(4) समापन याचिका के मद्देनजर प्रकाशित सामान्य नोटिसों के जवाब में, भारत संघ और हरियाणा राज्य की ओर से हलफनामे भी दायर किए गए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने मैसर्स मारुति लिमिटेड और इससे संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए दिनांक 30 मई, 1977 की अधिसूचना द्वारा एक जांच आयोग का गठन किया है।

(5) इस याचिका को शुरुआती चरण में तीन शेयरधारकों मैसर्स आर एन चौधरी, श्रीमती पी चौधरी और करतार सिंह द्वारा चुनौती दिए

जाने की मांग की गई थी। 30 सितम्बर, 1977 की अपनी आपत्तियों में उनकी ओर से यह रुख अपनाया गया था कि दिनांक 31 मार्च, 1977 के अनंतिम तुलन-पत्र के आलोक में कंपनी की देनदारियां और परिसंपत्तियां समान थीं। तब यह कहा गया था कि परियोजना आगे बढ़ रही थी और एक साल के भीतर कारों का निर्माण अलग हो जाएगा और कारों के इस निर्माण के अलावा, एसोसिएशन के ज्ञापन में कंपनी के कई अन्य उद्देश्य थे। यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी को बंद करने का आवेदन राजनीति से प्रेरित है और इस बात से इनकार करने की मांग की गई थी कि अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति के आदेश दिए जाने से पहले कंपनी का व्यवसाय ठप हो गया था। यह कहा गया है कि कंपनी बसों के बॉडी-बिल्डिंग जैसी अन्य वस्तुओं को ले जा रही थी और इसके अनुपालन के लिए बड़े आदेश थे और इसके अलावा कंपनी ने कभी भी अपने शेयरों को जनता के लिए नहीं खोला था और अगर ऐसा किया गया तो यह कंपनी को चलाने के लिए करोड़ों रुपये प्राप्त कर सकती थी। अतिरिक्त आपत्तियों में यह कहा गया है कि यदि कंपनी को कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो लेनदारों के सभी ऋणों को पांच साल के भीतर चुकाया जा सकता है और आगे यह अपने 1500 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करना जारी रखेगा। इस बात से इनकार किया जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का गठन किया गया था, वह काफी हद तक विफल हो गया था और कुल मिलाकर यह कहा जाता है कि इसे बंद करने का निर्देश देना न्यायसंगत या न्यायसंगत नहीं है।

(6) पक्षकारों के अनुरोध पर निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए -

(एक) क्या याचिका विचार योग्य नहीं है?

(दो) क्या समापन आदेश पारित करने का आधार है?

(तीन) मदद।

अपने मामले के समर्थन में, याचिकाकर्ता ने तीन गवाहों से पूछताछ की है और प्रोविजनल लिक्विडेटर, पीडब्ल्यू 1 द्वारा दायर मामलों के बयान (प्रदर्शनी पीडब्ल्यू 1/1) को रिकॉर्ड पर साबित कर दिया है, मैसर्स मारुति लिमिटेड के पूर्व वित्त प्रबंधक श्री जेके पाहुजा ने कहा कि अनंतिम परिसमापक द्वारा इसे संभालने के परिणामस्वरूप छंटनी के कारण उन्होंने अपना पद धारण करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक्ज़िबिट पीडब्ल्यू 1/1, कंपनी के मामलों का विवरण उनकी देखरेख में तैयार किया गया था और उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के पास कंपनी में 2,50,000 रुपये के मूल्य के पेड-अप शेयर थे और उन्होंने इसे 1,00,000 रुपये का ऋण भी दिया था। उन्होंने कहा कि अप्रैल 1977 में, कंपनी की वित्तीय स्थिति इस हद तक खराब हो गई थी कि यह अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने में भी असमर्थ थी और यहां तक कि अप्रैल और मई, 1977 के महीनों के लिए अपनी देयता को पूरा करने के लिए कंपनी के स्वामित्व वाले स्टॉक और सामग्रियों को भी बेचना पड़ा। उन्हें बताया गया कि कंपनी मार्च या अप्रैल, 1977 के महीनों में चालू स्थिति में नहीं थी। अपनी जिरह में गवाह ने आगे कहा कि कंपनी का कारखाना मार्च, 1977 में समाप्त हो गया और अनंतिम परिसमापक की नियुक्ति से बहुत पहले ही इसने चलना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी सार्वजनिक मुद्दा बनाने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसने विभिन्न राज्यों को कई पत्र भेजे थे, जिन पर उनके लिए बनाए गए बस निकायों के लिए पैसा बकाया था।

(7) मारुति लिमिटेड के पूर्व सचिव पीडब्ल्यू 2 एसएम रेगे ने कहा कि वह अप्रैल, 1972 में शामिल हुए थे और 15 सितंबर, 1977 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 1977 तक कंपनी के पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए कोई तरल धन नहीं था और इसी तरह अपने डीलरों और जमाकर्ताओं सहित सुरक्षित और

असुरक्षित लेनदारों के दावे को पूरा करने के लिए कोई धन नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल, 1977 में बॉडी बिल्डिंग का पूरा काम और फैक्ट्री में जॉब वर्क रुक गया था और कोई नया ऑर्डर नहीं आया था। उन्होंने कहा कि मई, 1977 तक कंपनी न तो बॉडी बिल्डिंग का और न ही किसी अन्य प्रकार का कोई कार्य कर रही थी। उनका रुख यह था कि कंपनी संकट की स्थिति में थी, और पर्याप्त धन या अतिरिक्त वित्त के बिना जीवित नहीं रह सकती थी, जिसकी किसी अन्य स्रोत से कोई संभावना नहीं थी। यह कर्मचारियों के वेतन के कारण देयता का भुगतान करने में भी असमर्थ था जो लगभग 1,70,000 रुपये प्रति माह की सीमा में था।

(8) गवाह ने गवाही दी कि कंपनी, जिसे मूल रूप से छोटी यात्री कारों के निर्माण के लिए बनाया गया था, किसी भी स्तर पर कारों का कोई वाणिज्यिक निर्माण या बिक्री नहीं कर सकती थी, हालांकि कुछ प्रोटोटाइप कम या ज्यादा प्रयोगात्मक प्रकृति के बनाए गए थे। यहां तक कि 1977 तक किसी भी कार का निर्माण नहीं किया जा रहा था और उस संदर्भ में परियोजना केवल एक प्रयोगात्मक चरण में थी। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी के पास व्यावसायिक रूप से कारों का निर्माण करने या उन्हें बाजार में लाने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं था। हालांकि, उन्होंने कहा कि कंपनी के परिसर के रूप में 297 एकड़ भूमि का एक विशाल क्षेत्र है और उस पर एक विशाल कारखाना भवन भी है और उनकी राय में कंपनी के वर्तमान दुर्दशा में इसके पुनरुद्धार के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। जिरह में उन्होंने कहा कि मार्च के अंत तक विभिन्न लेनदारों की ओर से कानूनी नोटिस आने शुरू हो गए थे और मार्च 1977 के बाद निदेशक मंडल या शेयरधारकों की कोई बैठक नहीं बुलाई गई। उन्होंने कहा कि निदेशकों के ध्यान में लाया गया था कि प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए कंपनी के हाथों में कोई तरल निधि नहीं थी और इस मद पर अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में

विचार किया गया था, हालांकि इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

(9) पुन: परीक्षण में गवाह ने कहा कि 2 फरवरी 1977 को श्री संजय गांधी जो कंपनी के प्रबंध निदेशक थे, ने संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि दो अन्य निदेशकों मैसर्स एम एच चिदम्बरम, कंपनी के अध्यक्ष और श्री रौनक सिंह ने अप्रैल, 1977 में इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

(10) याचिकाकर्ता दिल्ली ऑटोमोबाइल लिमिटेड के निदेशक पीडब्ल्यू 3 श्री बी डी आनंद एक औपचारिक गवाह हैं जिन्होंने याचिका दायर करने और ऐसा करने के लिए अपने प्राधिकरण आदि के लिए गवाही दी है।

(11) यह ध्यान देने योग्य है कि मेसर्स मारुति लिमिटेड की ओर से याचिका का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया गया था, और वास्तव में कंपनी के विद्वान वकील श्री एमएल सरीन ने 19 जनवरी, 1978 को अनुमति के साथ मामले से अपना नाम वापस ले लिया।

(12) आपत्तिकर्ताओं को खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, अंततः उनकी ओर से कोई गवाह पेश नहीं किया गया। हालांकि तकनीकी रूप से मामले को स्वीकार नहीं करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपत्तिकर्ता वर्तमान याचिका का विरोध करने में समान रूप से आधे-अधूरे मन से थे।

मुद्दा नंबर 1 - "क्या याचिका सुनवाई योग्य नहीं है?"

(13) यह दिखाने के लिए कोई आधार या विवाद नहीं उठाया जा सकता है कि क्यों और कैसे बंद करने के लिए वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। प्रतिवादियों की ओर से इस बिंदु पर कोई सबूत

नहीं दिया गया है। वास्तव में आपत्ति करने वालों के लिए श्री एम एस लिब्रहान ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि वह इस मुद्दे पर जोर नहीं दे रहे थे। तदनुसार

प्रतिवादी-कंपनी के खिलाफ इस निष्कर्ष के साथ निर्णय लिया जाता है कि याचिका अपने वर्तमान रूप में स्पष्ट रूप से सुनवाई योग्य है।

मुद्दा सं. 2 - "क्या समापन आदेश पारित करने का कोई आधार है?

(14) यहां जो पहली ओर ध्यान देने योग्य है वह यह तथ्य है कि कंपनी की मुख्य वस्तुओं में से एक मोटर कारों, ऑटोमोबाइल और अन्य यांत्रिक वाहनों का निर्माण था। यह मारुति लिमिटेड के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पैरा 111 (ए) (1) से स्पष्ट है, याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि वास्तव में कंपनी जनता को बिक्री के लिए कारों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है और यह रुख प्रतिवादी-कंपनी की ओर से स्वीकार किया गया था और वास्तव में अन्यथा संदेह में नहीं लगता है। पीडब्ल्यू 2, एसएम रेगे, कंपनी के सचिव ने खुद शपथ पर कहा कि हालांकि कंपनी मूल रूप से छोटी यात्री कारों के निर्माण के लिए बनाई गई थी, लेकिन किसी भी स्तर पर कारों का कोई वाणिज्यिक निर्माण या बिक्री नहीं हुई थी। उनके अनुसार, वर्ष 1971 में निगमित कंपनी किसी भी कार का निर्माण नहीं कर रही थी और इस संबंध में परियोजना एक प्रयोगात्मक चरण में है और कुछ प्रोटोटाइप कमोबेश प्रयोगात्मक प्रकृति के बनाए गए थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस उद्देश्य के लिए कंपनी को शामिल किया गया था वह विफल हो गया और इसलिए, यह मानना सही है कि कंपनी का आधार वस्तुतः गायब हो गया है।

(15) याचिकाकर्ता का रुख स्पष्ट रूप से यह है कि कंपनी अपनी बड़ी देनदारियों को पूरा करने में असमर्थ थी और इसके लेनदारों के बीच अपनी संपत्ति के लिए एक बड़ी होड़ थी। इसके अलावा याचिका में यह कहा गया था कि कंपनी का व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया था और उसके कर्मचारी चले गए थे और वस्तुतः वाणिज्यिक दिवालियापन था। यहां तक कि दलीलों के चरण में कंपनी ने अपने जवाब के

पैराग्राफ 7 में स्वीकार किया कि धन की कमी के कारण विभिन्न लेनदारों को भुगतान करना संभव नहीं था और आगे स्वीकार किया है कि वर्तमान में कंपनी का व्यवसाय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था और कुशल श्रमिक पहले ही चले गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से कंपनी के सचिव और उसके वित्तीय प्रबंधक की ओर से पेश किए गए साक्ष्य शायद ही किसी तरह का संदेह छोड़ते हैं कि कंपनी के लिए अपना व्यवसाय जारी रखना असंभव होगा और किसी भी मामले में नुकसान के अलावा नहीं।

(16) एक बार फिर यह दलीलों के साथ-साथ लगभग अपुष्ट सबूतों से भी स्पष्ट है कि कंपनी की मौजूदा और संभावित तरल संपत्तियां वर्तमान और तत्काल देनदारियों को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त हैं, जिन्हें इसके व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में पूरा किया जाना चाहिए। कंपनी की ओर से दी गई दलीलों में कही गई बातों के अलावा कि वित्तीय देनदारियां विभिन्न लेनदारों को भुगतान करना असंभव बना रही थीं, यह इस बात का प्रमाण है कि मार्च और अप्रैल, 1977 के महीनों में अपने कर्मचारियों के वेतन के लिए देयता भी मुश्किल से पूरी की जा सकी। यह सबूत है कि अकेले वेतन खाते पर देनदारियों की पूर्ति के लिए कंपनी की पूंजीगत परिसंपत्तियों और वस्तुओं को संकट में बेचा जाना था। एक बार फिर यह ध्यान देने योग्य है कि श्री रेगे ने अपनी पुन जांच में स्वीकार किया कि 2 फरवरी, 1977 को श्री संजय गांधी, जो कंपनी के प्रबंध निदेशक थे, ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और दो अन्य निदेशकों, श्री एमएच चिदंबरम और श्री रौनक सिंह ने इसी तरह अप्रैल, 1977 में इस्तीफा दे दिया था। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके स्थान पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है। बार में इस बात से भी इनकार नहीं किया गया कि कंपनी को दिशाहीन छोड़ दिया गया है।

(17) अंत में, याचिकाकर्ता का यह रुख था कि जिस अजीब स्थिति में कंपनी ने खुद को पाया है, शेयरधारकों के साथ-साथ इसके लेनदारों के

हितों को समापन कार्यवाही से बेहतर तरीके से पूरा किया जाएगा और इसकी संपत्ति यदि विवेकपूर्ण रूप से महसूस की जाती है तो इसकी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम हो सकती है। ऐसा लगता है कि कंपनी ने भी इसी तरह का रुख अपनाया है कि यदि विशेष रूप से संकट की बिक्री से बचा जाता है तो अंततः लेनदारों की कुछ मांगों को उचित तरीके से पूरा करना संभव हो सकता है।

भारत संघ *बनाम* बख्तावर सिंह और एक अन्य (बीएस ढिल्लों, जे)

(18) उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि *सेठ मोहन लाई और एक अन्य* बनाम *ग्रेन चैम्बर्स लिमिटेड (1) में उनके लॉर्डशिप द्वारा* एक कंपनी के समापन के लिए किए गए परीक्षण वर्तमान मामले में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि यह न्यायोचित और न्यायसंगत है कि कंपनी को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 (एफ) के तहत बंद कर दिया जाना चाहिए और तदनुसार निदेश दिया जाना चाहिए।

(19) अनंतिम परिसमापक पूर्वोक्त कंपनी का परिसमापक होगा और तुरंत सभी संपत्ति और उसके प्रभावों का प्रभार लेगा। कंपनी (न्यायालय) नियम, 1959 के फॉर्म संख्या 52 के अनुसार औपचारिक समापन आदेश तैयार किया जाए।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा